महत्वपूर्ण एवं खास

खाना बनाते समय गैस में झुलसी महिला, राइनो ने पहुंचाया अस्पताल

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोतवाली राइनो -1 को दिनांक 27.12. 2019 के दोपहर में ग्राम मौहापाली के लिए मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट प्राप्त हुआ। कोतवाली राइनो-1 में आरक्षक रूपराम साहू ग्राम मौहापाली पहुंचा जहां रहने वाली श्रीमती पुष्पा गोस्वामी पति रघुनंदन गोस्वामी उम्र 27 वर्ष घर में गैस पर खाना बनाते समय 40-50त्न जल गई थी। पीड़िता को इलाज के लिए परिजनों ने डायल 112 को कॉल कर इवेंट दिया गया था। आरक्षक रूपराम साहू द्वारा पीड़िता को श्वत्रङ्क वाहन से इलाज के लिए केजीएच रायगढ़ में लाकर भर्ती कराया गया है , जिसकी स्थिति सामान्य है।

कोड़ेनार घाट में नहाने के दौरान चार युवकों के साथ हादसा, डूबने से एक मृत, एक लापता

» पिकनिक मनाने गए थे सभी युवक

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के मुचनार क्षेत्र के कोड़ेनार घाट में पिकनिक मनाने के दौरान घाट में नहाने उतरे चार युवकों में एक युवक की पानी में डूबने से मौत होने तथा एक युवक पानी के बहाव में बह जाने की खबर आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज कोड़ेनार घाट में पिकनिक मनाने गए चार युवक जिनके नाम उमेश ठाकुर, विजय गुप्ता, अभिषेक एवं टीनू बताया जा रहा है घाट के तेज बहाव में नहा रहे थे। इसी दौरान सभी युवक वहां डूबने लगे, जिनकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने चारों युवकों में तीन युवको को पानी से बाहर निकालने में कामयाब हुए, वहीं एक युवक पानी में डूबकर बहाव में बह गया। इधर जिन तीन युवको को पानी से बाहर निकाला गया उनमें एक युवक की अस्पताल में ले जाने के बाद मौत हो गई। लापता हुए युवक का नाम उमेश ठाकुर बताया जा रहा है, वहीं विजय गुप्ता की अस्पताल ले जाने के बाद मौत हो गई, जबकि अभिषेक और टीनू सुरक्षित है। सभी युवक कहा के रहने वाले थे इसकी जानकारी समाचार लिखे जाने तक नहीं मिल पायी है।

रेलवे में स्पेशल टिकट चेकिंग अभियान के दौरान लगभग 2,89, 765 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ

रायपुर(आरएनएस)। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा समय.समय पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । जिससे यात्रियों को टिकट लेने के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा हैए साथ ही यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है कि वे उचित टिकट लेकर सही कोच में बैठे एवं अपनी सुखद यात्रा करें। टिकट चेकिंग अभियान में दिनांक 26 दिसम्बरए 2019 को चलाया गया जिसमें बिना टिकट यात्रा करने वाले लगभग 241 मामलों से 1ए64ए875 रूपये राजस्व प्राप्त हुआए वही अनियमित टिकट के 217 मामलों से 95ए600 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआए अन बुकड़ लगेज के 283 मामलों से 28ए990 रूपये राजस्व प्राप्त हुआए कचरा फ़ैलाने लगभग 03 मामलों से 300 रूपये राजस्व प्राप्त हुआए कुल 744 मामलों से रायपुर रेल मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा 2ए89ए765 रूपये का राजस्व प्राप्त किया गयाए इस टिकट चेकिंग अभियान में 37 टीटीईए 02 मुख्य वाणिज्य निरीक्षक 01 रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा के द्वारा 06 लोकल एवं लगभग 28 एक्सप्रेस ट्रेनों में जांच की गई । यात्रियों से अनुरोध है कि वह उचित टिकट लेकर यात्रा करें आगे भी यह अभियान लगातार जारी रहेंगे।

पुरी दुर्ग पुरी एक्सप्रेस में अतिरिक्त अस्थाई कोच की सुविधा

रायपुर (आरएनएस)। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल यात्रियों की सुविधा के लिए 18425 पुरी दुर्ग एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी 3 कोच 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक के लिए लगाया जा रहा है । गाड़ी संख्या 18426 दुर्ग पुरी एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी थ्री कोच 28 से 31 दिसंबर तक लगाया जा रहा है। दिनांक 28 दिसंबर को गाड़ी संख्या 18426 दुर्ग पुरी एक्सप्रेस में अतिरिक्त 01 स्लीपर कोच - 01 ;एसी 2 सह एसी 3एसी कोच लगाया जा रहा है ।' गाड़ी संख्या 18241 दुर्ग अम्बिकापुर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच 27 दिसंबर को लगाया गया।

युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा

» - 6 माह के भीतर माननीय न्यायालय से आया निर्णय

न्याय साक्षी/रायगढ़। माननीय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की पीठासीन अधिकारी श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी द्वारा दिनांक 23.12.2019 को थाना खरसिया के अपराध क्रमांक 191/ 2019 धारा 376,506 भादंवि में युवती से दुष्कर्म के आरोपी देव देवार पिता अशोक देवार उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम खम्हार पुलिस चौकी जोबी, थाना खरसिया जिला रायगढ़ को धारा 376 भादवि में 7 साल के कठोर कारावास एवं रू. 5000 के अर्थदंड तथा धारा 506 भादवि में 1 साल की सजा व रू. 1000 का अर्थदंड से दंडित की है।

पीड़िता द्वारा दिनांक 29.04.2019 को पुलिस चौकी जोबी में आरोपी देव देवार द्वारा बलात्संग की घटना कारित करने एवं जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पीड़िता बताई की दिनांक 27.04.2019 को मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ग्राम रामपुर के मोबाइल दुकान में दी थी। उसी मोबाइल को दुकान से लेने के लिए वह दिनांक 28.042019 के सुबह 11:00 बजे खम्हारर से रामपुर जाने के लिए निकली, बस नहीं मिलने पर मोटरसाइकिल पर उसे उसका परिचित देव कुमार देवार बस स्टैण्ड के पास मिला जिसके साथ मोबाइल दुकान जाकर मोबाइल लेकर वापस आ रही थी कि दोपहर करीब 02.30 बजे रास्ते में बगझर व खम्हार के मध्य आरोपी जंगल में अपनी मोटरसाइकिल को रोककर पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया और धमकी दिया जिसकी रिपोर्ट पर चौकी जोबी, थाना खरसिया में अपराध क्रमांक 191/19 धारा 376 506 भादवि के तहत अपराध कायम किया गया।

पुलिस चौकी जोबी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक संतोष कुमार यादव द्वारा दिनांक 30.04. 2019 को विवेचना दरमियान आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर दिनांक 06.06.2019 को आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय में अभियोजन की ओर से ए. के. श्रीवास्तव विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता सी. पी. डनसेना द्वारा पैरवी की गई है। आरोपी को उस पर आरोपित धारा 376 आईपीसी एवं 506 आईपीसी में दोषसिद्ध पाया गया।

युवा कैरियर निर्माण योजना अंतर्गत चयन परीक्षा 29 दिसम्बर को

» रायपुर में आयोजित होगी परीक्षा

न्याय साक्षी/रायगढ़। युवा कैरियर निर्माण योजना अंतर्गत संघ / राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों के निर्धारण हेतु प्राक्कयन परीक्षा 29 दिसम्बर को दोपहर 12 से 2 बजे तक तक रायपुर में आयोजित की जाएगी। जिसमें पुरूष अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, सड्डू रायपुर है। जिसका संपर्क नंबर 98261-94362 है एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय, गुढियारी, पहाड़ी चौक रायपुर परीक्षा केन्द्र है, जिसका संपर्क नंबर 8770432223 है।

परीक्षा में शामिल होने वाले पात्र अभ्यर्थियों की प्रावधिक सूची एवं रोल नंबर विभागीय वेबसाईट पर देखी जा सकती है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पृथक से नहीं भेजा जाएगा। सूचना के साथ ही प्रवेश पत्र का प्रारूप संलग्न है। अभ्यर्थियों को उसमें समस्त जानकारी भरकर तथा नवीनतम फोटो चिपकाकर परीक्षा केन्द्र पर लाना होगा। साथ ही फोटो पहचान पत्र के रूप में ओरिजनल आधार कार्ड अथवा वैध ड्रायविंग लाईसेंस या मतदाता परिचय पत्र लाना होगा, जिससे मिलान कर वास्तविक अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे। इलेक्ट्रानिक गैजेट यथा मोबाईल, पेजर, कैलकुलेटर इत्यादि परीक्षा हॉल में प्रतिबंधित है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला रायगढ़ में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते है।

त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019

सहायक रिटर्निंग आफिसर के सहयोग हेतु अधिकारी-कर्मचारी संलग्न

» 30 दिसम्बर से 6 जनवरी तक भरे जायेंगे नामांकन

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार ने त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 के सफल संचालन के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर्स के सहयोग हेतु जिले में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की विकासखण्डवार ड्यूटी लगाई गई है। उक्त कर्मचारी 30 दिसम्बर 2019 से 6 जनवरी 2020 तक नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने एवं 7 जनवरी 2020 को उनकी संवीक्षा तथा 9 जनवरी 2020 तक अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी एवं विधिमान्य नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने एवं उससे संबंधित अन्य कार्य में सहायक रिटर्निंग आफिसर्स का सहयोग करेंगे।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड रायगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़ तथा तमनार के लिए जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी को सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है तथा उनके सहयोग हेतु सहा.ग्रेड.2 सत्येन्द्र मेहर, सहा.ग्रेड.3 शांतिलाल यादव, राजस्व निरीक्षक खेमराज पटेल, पटवारी अनिल राम, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर प्रदीप कसेर एवं भृत्य निमन खलखो की ड्यूटी लगाई गई है जो कलेक्टर न्यायालय कक्ष क्रमांक 02 में उक्त विकासखण्डों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन से संबंधित कार्य करेंगे। इसी तरह विकासखण्ड सारंगढ़ एवं बरमकेला के लिए डिप्टी कलेक्टर रायगढ़ श्रीमती नम्रता डोंगरे को सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है तथा सहा.ग्रेड.2 सूरज खर्रा, सहा.ग्रेड. 3 महेश निर्मलकर, राजस्व निरीक्षक गणेशराम रात्रे, पटवारी मनोज चौधरी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर बिरेन्द्र कुमार राठिया एवं भृत्य अनिल सिदार उनके सहयोगी के रूप में अपर कलेक्टर न्यायालय कक्ष क्रमांक 16 में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना तथा उससे संबंधित अन्य कार्य करेंगे। विकासखण्ड लैलूंगा, पुसौर एवं खरसिया के लिए अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ आशीष कुमार देवांगन को सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है तथा उनके सहयोग हेतु सहा.ग्रेड.2 गोविंद प्रधान, सहा.ग्रेड.3 गोपाल यादव, राजस्व निरीक्षक शास्ती प्रधान, पटवारी गिरीश चौधरी, सहा.ग्रेड 3 मुकेश कुमार भोई एवं भृत्य आनंद ठेठवार की ड्यूटी लगाई गई है। जो न्यायालय नजूल अधिकारी कक्ष क्रमांक 14 में निर्वाचन से संबंधित कार्य करेंगे।

दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के दिए निर्देश

» संतोषजनक जवाब नहीं पाए जाने पर करें निलंबित : मंत्री गुरू रूद्रकुमार

» राज्य स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक

रायपुर (आरएनएस)। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार ने आज राजधानी स्थित नीर भवन में विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कोण्डागांव और अम्बिकापुर के अधीक्षण अभियंताओं को कार्य में शिथिलता और लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों को दिए। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि 15 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब न पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मंत्री गुरु रूद्रकुमार ने विगत माह में लिए समीक्षा बैठक के दौरान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जिलेवार अद्यतन जानकारी न मिल पाने के कारण अधिकारियों को पूर्ण जानकारी निश्चित समय-सीमा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। उन्होंने हर दो माह में सभी वरिष्ठ अभियंताओं को विभागीय कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए थे। अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता वाले कार्यों में उदासीनता बरतने पर तीखी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग की कार्यशैली काफी निराशाजनक है। मंत्री गुरु रूद्रकुमार ने अधिकारियों से प्राप्त अस्पष्ट जानकारी से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर तीनों परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता अपने सभी अधिकारियों की कल ही बैठक लेकर जानकारी एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और साथ ही कार्यों में कसावट लाने 15-15 दिन में बैठक करने के निर्देश दिए।

मंत्री गुरू रूद्र ने 27 जिलों के सभी शिक्षण संस्था, उप स्वास्थ्य केन्द्रों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा कर सरकार गठन के बाद अब तक कि अद्यतन जानकारी 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और कहा कि कार्यों में धीमी गति पाए जाने पर अंतिम दो जिलों के संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए है।

राजीव गांधी नल जल योजना और मुख्यमंत्री नल जल योजना की संपूर्ण जानकारी एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने निर्देशित किया कि मिनीमाता अमृतधारा योजना सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ विभाग में संचालित सभी पेयजल योजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने बैठक के दौरान विभाग को उपलब्ध आबंटन का शत्-प्रतिशत उपयोग किया जाए। नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत पेयजल योजनाओं को आवश्यकतानुसार प्राथमिकता क्रम से पूर्ण कराया जाए।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480